



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

2026:RJ-JP:29510

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2423/2026

Roshanlal S/o Agyaram Bishnoi, Aged About 23 Years, R/o Khavo
Ki Dhani, kerlanada, police Station Matoda, district Jodhpur
Rural, rajasthan Lodged In District Jail, chittorgarh

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Bhagirath Ray Bishnoi
For Respondent(s)	: Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR
Order

12/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं के विवाह के आधार पर पुलिस थाना निम्बाहेरा सदर जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-382/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 8/22 NDPS में प्रार्थी अभियुक्त को अन्तरिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है ।

बहस सुनी गई ।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि उसका पूर्व में विवाह दिनांक 08.03.2026 को होना प्रस्तावित था, परंतु संबंधित न्यायालय द्वारा अन्तरिम जमानत न देने के आधार पर प्रार्थी का विवाह दिनांक 16.03.2026 को प्रस्तावित है । अतः प्रार्थी/अभियुक्त को 15 दिन का अन्तरिम जमानत की सुविधा प्रदान की जावे ।

विद्वान लोक अभियोजक ने अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध कर कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त से 3 किलो 420 ग्राम अवैध एम.डी.एम.ए. पाउडर बरामद हुआ है, साथ ही विद्वान लोक अभियोजक द्वारा कार्यालय पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 11.03.2026 प्रस्तुत की गई है ।



दोनों पक्षों के तर्कों एवं वितर्कों पर मनन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त का विवाह दिनांक 16.03.2026 को प्रस्तावित है और इस संदर्भ में संबंधित थानाधिकारी मतोड़ा, जिला फलोदी की गांम पंचायत इन्दों की ढाणी, राशन कार्ड की प्रति, पिता की तस्दीक रिपोर्ट व शादी कार्ड की प्रति प्रस्तुत की गई है। कार्यालय ग्राम पंचायत इंदों की ढाणी द्वारा प्रमाण पत्र में यह तथ्य उल्लेख किया गया है कि पूर्व में प्रार्थी का विवाह दिनांक 08.03.2026 को प्रस्तावित था, परंतु प्रार्थी/अभियुक्त को पैरोल नहीं मिलने के कारण इस कार्यक्रम को दिनांक 16.03.2026 को आगे बढ़ाया गया है और प्रार्थी/अभियुक्त का विवाह दिनांक 16.03.2026 को इंदों की ढाणी में प्रस्तावित है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, मैं प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत दिनांक 30.03.2026 तक की अवधि हेतु अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के संतोषप्रद 1,00,000/—रुपए (अक्षरे एक लाख रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 50,000—50,000/— रुपए (अक्षरे पचास—पचास हजार रुपए) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वह अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान शांति व सद्व्यवहार बनाए रखेगा एवं अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर दिनांक 30.03.2026 को सायं 5.00 पी.एम. पर वह पुनः संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा तो प्रार्थी/अभियुक्त **रोशन लाल पुत्र आझाराम बिश्नोई** को अविलम्ब अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा उक्त नियत अवधि में पुनः संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करने या नहीं करने की सूचना संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विचारण न्यायालय व इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J